


Om

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

प्रकरण संख्या 111/17...

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम को इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 1.2.2018    | <p>वकील रोहित कुमार के द्वारा जमानत के लिए अर्ज दायर की गई है। अर्ज में उल्लेख है कि आरोपी का पता नहीं है। अतः अर्ज को खारिज करने के लिए अर्जकर्ता को 18 दिनों के अंदर पता पेश करने की सलाह दी गई है। अन्यथा अर्ज खारिज कर दी जाएगी।</p> <p>61</p> <p></p> <p><b>उपखण्ड अधिकारी</b><br/>मेड़ता (नाथूर)</p> |   |